

कार्यालय  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,  
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com  
क्रमांक: FWA/351 दिनांक: 25/09/2024

सेवा में


वन मण्डल अधिकारी  
कैथल ।

विषय: Diversion of 0.003374 ha. forest land for access to Rice Milling and Trading of Food Grains etc. of M/s Siddhi Vinyak food along Kaithal-Chandana Road, km. Stone 4-5 r/side at Village Chandana, under Forest Division and Distt.Kaithal, Haryana, Proposal No. FP/HR/Approach/140339/2021

विषयोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत करवाया जाता है कि वर्तमान व0सं0स0 नियम, 2023 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.03.2024 अनुसार इस प्रस्ताव में स्वीकृति हेतु आगामी कार्रवाई इस कार्यालय द्वारा की जानी है।

इस कार्यालय द्वारा प्रस्ताव का पुनः अवलोकन करने पर पाया गया है कि इस प्रस्ताव को 3 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है तथा प्रोजैक्ट साईट की वर्तमान निरीक्षण रिपोर्ट ली जानी आवश्यक है कि प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा मौके पर वन भूमि का उपयोग किया जा रहा है या नहीं ?

अतः इस सम्बन्ध में आपको निर्देश दिए जाते हैं कि पुनः मौका निरीक्षण करके स्पष्ट करें कि क्या प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा व0सं0स0 अधिनियम, 1980 की उल्लंघना की जा रही है अथवा नहीं ? यदि मौके पर व0सं0स0 अधिनियम, 1980 की उल्लंघना की जा रही है तो वर्तमान व0सं0स0 नियम, 2023 अनुसार प्रस्ताव Scenario 7 के तहत परिवेश पोर्टल 2.0 में प्रयोक्ता एजैन्सी से अप्लाई करवाने बारे दिशा निर्देश जारी करें ।

  
24/09/24  
अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०)  
हरियाणा, पंचकुला । 20/09/24